

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,

(भू-अर्जन निदेशालय)

अधिघोषणा

पटना, दिनांक 24-07-2013

संख्या..... रा. चूकि बिहार सरकार का यह प्रतीत होता है कि ग्राम..... तारापुर..... थाना नं०.....196.....
परगना..... लखनपुर..... थाना..... तारापुर..... जिला..... मुंगेर.....
में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ, अर्थात्..... कौवरिया पथ, निर्माण हेतु..... के लिए सरकारी खर्च पर सरकार
द्वारा जमीन ली जाती अपेक्षित है, इसके लिये इसके द्वारा अधिघोषित किया जात है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम.....
तारापुर..... थाना नं०.....196.....के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कम बेश 2.23 एकड़
के बराबर होता है और जिसका सर्वे खेसरा संख्या 385,389,392,393,394,396,400,405,406,556,559,561,566,569,576,578,579,580,581,583,
569,576,577,579,580,581,692,693,694,695,735,736,741,742,743,744,745,765,768,769,770,772,773,774,775,
777,778,779,780,781,782,796,797,

चौहद्दी निम्न प्रकार है :-

उत्तर :- सिवाना मौजा-गोवाचक

दक्षिण :- सिवाना मौजा-काजीचक

पूर्व :- खेसरा सं०-385,389,392,393,394,396,400,405,406,556,559,561,566,569,576,578,579,580,581,783,
796,797 का अंश एवं 741,742,743,744,745,775,777,779,780,781 पूर्ण।

पश्चिम :- 385,389,392,393,394,396,400,405,406,556,561,566,569,576,577,692,693,735,736,741,742,743,744,
745,765,768,770,772,773,774,778,779,780,781,782,786,797 का अंश।


भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों के खानों की
अवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों एवं खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिसका कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है,
इसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना, या उपयोग में लाना हो ले लिए जाएंगे।

(बिहार अधिनियम 11, 1981 यथा संशोधित 68,1984) के उपबंधों के अधीन उन सभी वक्तियों के लिए जारी की जाती है,
जिससे इसका सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा भू-अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


समाहर्ता,
मुंगेर।


21/07/13

ज्ञापांक संख्या - 14/डी0 एल0 ए0 मुंगेर (का0 प0)- 01/2013 - 1886/रग0

डि०-२५-०७-१३

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, समाहरणालय, मुंगेर को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. समाहर्ता, मुंगेर को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. जिला अवर निबंधक, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 6. आई० टी० मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

02/07/13
(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।